"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 171] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 19 जुलाई 2005—आषाढ़ 28, शक 1927

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, दिनांक 19 जुलाई, 2005 (आषाढ़ 28, 1927)

क्रमांक-9079/विधान/2005.—छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005), जो दिनांक 19 जुलाई, 2005 को पुरःस्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

देवेन्द्र वर्मा
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 13 सन् 2005)

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2005

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 को संशोधित किये जाने हेतु विधेयक :-

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो, अर्थात् :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम "छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2005" कहलायेगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

परिभाषा.

2. इस अधिनियम में जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

"मूल अधिनियम" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973)

धारा-4 का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा-4 (पच्चीस) का लोप किया जाय.

धारा-19 का संशोधन.

4. मूल अधिनियम की धारा-19 (एक) का लोप किया जाय.

धारा-20 का संशोधन.

5. मूल अधिनियम की धारा-20 का लोप किया जाय.

धारा-21 का संशोधन.

6. मूल अधिनियम की धारा-21 का लोप किया जाय.

धारा-22 का संशोधन.

7. मूल अधिनियम की धारा-22 का लोप किया जाय.

धारा-23 का संशोधन.

8. मूल अधिनियम की धारा-23 की उपधारा (एक) के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाय :-

"(एक-अ) राज्य शासन द्वारा मनोनीत राज्य विधानमण्डल के दो या तीन सदस्य."

धारा-47 का संशोधन.

9. मूल अधिनियम की धारा- 47 के स्थान पर निम्नलिखित धारा स्थापित किया जाय :-

"विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन, कार्यकारिणी समिति द्वारा, उस तिथि अथवा उसके पूर्व पारित किया जायेगा, जैसा कि परिनियम द्वारा विहित किया जाय. विश्वविद्यालय उसके पश्चात् उक्त वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति राज्य शासन को भेजेगा, और राज्य शासन यथाशीघ्र उसे राज्य विधानमण्डल के पटल पर रखेगा."

धारा-48 का संशोधन.

10. मूल अधिनियम की धारा-48 की उपधारा (2) में "सभा" शब्द का लोप किया जाय.

धारा-52 का संशोधन.

11. (i) छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा - 52 में शब्द "सभा" जहां कहीं भी वह आये, का लोप किया जाय.

(ii) मूल अधिनियम की धारा-52 की उपधारा (1) में शब्द एवं अंक "20 से 25" के स्थान पर शब्द एवं अंक "23 से 25" प्रतिस्थापित किये जायें.

तृतीय अनुसूची का संशोधन.

12. मूल अधिनियम की तृतीय अनुसूची के पैरा-2 में धारा 20, 21 एवं 22 का लोप किया जाय.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

छत्तीसगढ़ शासन ने यह निर्णय लिया है कि छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की व्यवस्थाओं को पूर्ण प्रभावी बनाने के लिये विश्वविद्यालय "सभा" से सम्बन्धित आवश्यक संशोधन करने के लिए राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) में संशोधन प्रस्तावित किये हैं.

2. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर
तारीख 7 जुलाई, 2005

अजय चन्द्राकर
उच्च शिक्षा मंत्री
(भारसाधक सदस्य)

उपाबंध

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) के सुसंगत उद्धरण :-

* *

4. (पच्चीस) "सभा" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय की सभा (कोर्ट)

* *

19. विश्वविद्यालय के प्राधिकारी निम्नलिखित होंगे :-

(एक) सभा;

* *

सभा का गठन. 20. (1) सभा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात्

समूह - क

(एक) कुलाधिपति;

(दो) कुलपति;

(दो-क) कुलाधिसचिव;

(तीन) संकायों के संकायाध्यक्ष;

(चार) सचिव, मध्यप्रदेश शासन शिक्षा विभाग या उसका नाम निर्दिष्ट व्यक्ति, जो उपसचिव के पद से निम्न पद का न हो;

(पांच) संचालक, महाविद्यालयीन शिक्षा, मध्यप्रदेश;

(छ:) संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश;

(सात) संचालक, तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश;

(आठ) सभापति, मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल;

(नौ) विश्वविद्यालय के मुख्यालय पर के नगरपालिक निगम का महापौर या विश्वविद्यालय के मुख्यालय पर की नगरपालिका परिषद् का अध्यक्ष, जैसी भी कि दशा हो.

समूह - ख

(दस) सम्बद्ध महाविद्यालयों के आठ प्राचार्य जिनमें कम से कम चार प्राचार्य उन महाविद्यालयों में से होंगे जो राज्य सरकार के हों तथा कम से कम एक प्राचार्य किसी स्त्री महाविद्यालय में से होगा, ये आठ प्राचार्य, परिनियमों द्वारा विहित की गई रीति में, सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित किए जाएंगे.

(ग्यारह) पांच व्यक्ति जो परिनियमों द्वारा विहित की गई रीति में आचार्यों तथा विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्षों द्वारा अपने में से निर्वाचित किए जायेंगे.

(बारह) प्राचार्यों से भिन्न चार महाविद्यालयीन आचार्य जो परिनियमों द्वारा की गई रीति में ऐसे महाविद्यालयीन आचार्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित किए जाएंगे.

(तेरह) विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभागों या प्राध्ययन केन्द्रों में से एक उपाचार्य जो विश्वविद्यालय के विभागाध्याक्षों से भिन्न हो तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों में से एक उपाचार्य, ये दोनों उपाचार्य परिनियमों द्वारा विहित की गई रीति में क्रमशः अध्यापन विभागों तथा प्राध्ययन केन्द्रों के तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों के ऐसे उपाचार्यों द्वारा अपने मे से निर्वाचित किए जाएंगे.

(चौदह) लोप किया गया.

(पन्द्रह) चौदह व्यक्ति, जिनमें से कम से कम एक व्यक्ति विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभागों या प्राध्ययन केन्द्रों में से होगा, ये चौदह व्यक्ति परिनियमों द्वारा विहित की गई रीति में प्राध्यापकों द्वारा अपने में से निर्वाचित किए जायेंगे.

समूह - ग

(सोलह) उन विद्वत् वृत्तियों का, जो कि परिनियमों द्वारा विहित की जाएं प्रतिनिधित्व करने वाले अधिक से अधिक चार व्यक्ति, जो कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित किए जायेंगे.

(सत्रह) उद्योग, कृषि, श्रम तथा वाणिज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिक से अधिक पांच व्यक्ति जो कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित किए जायेंगे.

(अठारह) राज्य विधान सभा के आठ सदस्य जो राज्य विधान सभा द्वारा निर्वाचित किए जायेंगे.

(उन्नीस) पन्द्रह प्रतिनिधि जो विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रीकृत स्नातकों द्वारा अपने में से निर्वाचित किए जायेंगे.

(बीस) विश्वविद्यालय को एक लाख रुपये या अधिक संदान करने वाला प्रत्येक दाता.

(बीस-क) विश्वविद्यालय के वैतनिक अध्यापकेत्तर कर्मचारियों का एक प्रतिनिधि, जो ऐसी रीति में निर्वाचित किया जाएगा जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए ;

समूह - घ

(इक्कीस) तीन विद्यार्थी जो अध्ययन बोर्डों के विद्यार्थी सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित किए गए हों.

(बाईस) तीन विद्यार्थी जो उन विद्यार्थियों द्वारा अपने में से निर्वाचित किए गए हों जो निर्वाचन के ठीक पूर्ववर्ती शैक्षणिक सत्र में अन्तर्विश्वविद्यालयीन टूर्नामेंट में भाग लेने वाली विश्व-विद्यालयीन टीमों के सदस्य रह चुके हों.

(तेईस) चार विद्यार्थी जो उस निर्वाचकगण (इलेक्टोरल कॉलेज) द्वारा, जिसमें ऐसे विद्यार्थी होंगे जो विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभागों में के विद्यार्थी संघों के तत्समय अध्यक्ष हों, अपने सदस्यों में से निर्वाचित किए जायेंगे.

समूह - ङ

(चौबीस) कार्य-परिषद् के ऐसे सदस्य जो पूर्ववर्ती पदों (आयटम्स) में से किसी भी पद (आयटम) के अधीन सदस्य न हों.

स्पष्टीकरण :

(एक) कोई भी व्यक्ति एक से अधिक पद (आयटम) के अधीन सभा का सदस्य होने के लिए पात्र नहीं होगा.

(दो) किसी विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभाग, प्राध्ययन केन्द्र या महाविद्यालय में से एक से अधिक व्यक्ति समूह-ख के किसी भी एक पद (आयटम) के अधीन नाम-निर्देशित नहीं किए जायेंगे.

(तीन) खण्ड (बीस-क) में वर्णित प्रतिनिधि को छोड़कर, राज्य के भीतर किसी भी विश्वविद्यालय या किसी भी महाविद्यालय का कोई भी वैतनिक कर्मचारी समूह-ग के अधीन सदस्य होने के लिए पात्र नहीं होगा.

(चार) समूह-घ के प्रयोजन के लिए, विद्यार्थी से अभिप्रेत होगा वह व्यक्ति जो -

(क) विश्वविद्यालय के किसी भी महाविद्यालय या विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभाग या प्राध्ययन केन्द्र या किसी अन्य संस्था में, अध्यादेशों में अधिकथित निबन्धनों तथा शर्तों के अधीन शिक्षण प्राप्त कर रहा हो या गवेषणा कर रहा हो; और

(ख) अपनी उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उन शैक्षणिक सत्र के, जिसमें कि वह निर्वाचित होना चाहता है, प्रारम्भ होने की तारीख के अधिक से अधिक सात वर्ष पूर्व उत्तीर्ण कर चुका हो या अपनी इण्टरमीडिएट परीक्षा उक्त तारीख से अधिक से अधिक छ: वर्ष पूर्व उत्तीर्ण कर चुका हो.

परन्तु जहां भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के खण्ड (1) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा तारीख 25 जून, 1975 को की गई आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान किसी विद्यार्थी को अपना अध्ययन आन्तरिक सुरक्षा बनाए रखने का अधिनियम, 1971 (क्रमांक 26, सन् 1971) के अधीन स्वयं के विरुद्ध किये जाने के कारण या डिफेंस एण्ड इन्टर्नल सिक्यूरिटी ऑफ इण्डिया एक्ट, 1971 (क्रमांक 42, सन् 1971) या भारत रक्षा और

आन्तरिक सुरक्षा नियम, 1971 के अधीन या दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 107 या धारा 117 या धारा 151 के अधीन स्वयं के गिरफ्तार या कारावासित किये जाने के कारण बन्द कर देना पड़ा था और इस उप-पैरा में विनिर्दिष्ट की गई कालावधियों का ऐसे विद्यार्थी के सम्बन्ध में अवसान विद्या वर्ष 1977-78 का प्रारम्भ होने के पूर्व ऐसे निरोध, ऐसी गिरफ्तारी या ऐसे कारावास के दौरान हो गया था, वहां इस उप-पैरा के उपबन्ध ऐसे विद्यार्थी के सम्बन्ध में इस प्रकार प्रभावी होंगे मानों कि शब्द "सात वर्ष" तथा "छ: वर्ष" के स्थान पर शब्द "नौ वर्ष" तथा "आठ वर्ष" क्रमश: स्थापित किए गए हों."

(पांच) पद (उन्नीस), (इक्कीस), (बाईस) तथा (तेईस) के अधीन निर्वाचन की रीति ऐसी होगी जैसी कि परिनियमों द्वारा विहित की जाय.

(2) उपधारा (1) के समूह-घ के अधीन निर्वाचित किए गए सदस्यों की पदावधि एक वर्ष होगी.

(3) उपधारा (1) के समूह-ख तथा समूह-ग के अधीन यथास्थिति नाम-निर्देशित या निर्वाचित सदस्यों या उपधारा (1) के समूह-ख तथा समूह-ङ में सम्मिलित किए गए सदस्यों की पदावधि का पर्यवसान सभा की अवधि, जो तीन वर्ष की होगी, के पर्यवसान के साथ होगा.

(4) उपधारा (1) के पद (बीस) में विनिर्दिष्ट किया गया प्रत्येक दाता सभा का आजीवन सदस्य रहेगा ;

परन्तु जहां ऐसा दाता अविभक्त हिन्दू कुटुम्ब, न्यास, फर्म, कम्पनी या निगमित निकाय हो, वहां वह सभा की सदस्यता के प्रयोजनों के लिए, उस तारीख से, जिसको कि विश्वविद्यालय द्वारा दान प्रतिग्रहीत किया जाये, पन्द्रह वर्ष की कालावधि का अवसान होने पर दाता नहीं रहेगा और पूर्वोक्त कालावधि के दौरान वह प्रतिनिधि, जो ऐसे दाता द्वारा समय-समय पर नामनिर्देशित किया जाय दाता समझा जायगा.

* *

सभा के सम्मिलन तथा उनमें गणपूर्ति.

21. (1) सभा का सम्मिलन एक कैलेण्डर वर्ष से कम से कम एक बार तथा ऐसे अन्तरालों पर, जो कि परिनियमों द्वारा विहित किये जायें होगा.

(2) सभा के तीस सदस्यों से गणपूर्ति होगी.

* *

सभा की शक्तियां तथा उनके कर्त्तव्य.

22. इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, सभा निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगी और निम्नलिखित कर्त्तव्यों का पालन करेगी, अर्थात् :-

(एक) विश्वविद्यालय से सम्बन्धित समस्त विषयों के सम्बन्ध में सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करना ;

(दो) विश्वविद्यालय की स्थूल नीतियों तथा कार्यक्रमों का समय-समय पर पुनर्विलोकन करना और विश्व-विद्यालय की उन्नति तथा विकास के लिए उपाय सुझाना ;

(तीन) वार्षिक रिपोर्टों, वार्षिक लेखाओं तथा तत्सम्बन्धी संपरीक्षा रिपोर्ट, यदि कोई हो, पर विचार करना और उन पर संकल्प पारित करना ;

(चार) विश्वविद्यालय के वार्षिक वित्तीय, प्राक्कलनों पर विचार करना और उन पर संकल्प पारित करना ;

(पांच) उपाधियाँ, उपाधि-पत्र तथा विद्या सम्बन्धी अन्य विशिष्टता कार्यपरिषद् की सिफारिश पर प्रदान करना;

(छः) सम्मानित उपाधियाँ तथा विद्या सम्बन्धी अन्य विशिष्टताएं कार्यपरिषद् की सिफारिश पर प्रदान करना :

(सात) विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों के कार्यों का, उस दशा में के सिवाय जहां कि ऐसे प्राधिकारियों ने उन शक्तियों के अनुसार कार्य किया हो जो कि इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों द्वारा उन्हें प्रदत्त की गई हो, पुनर्विलोकन करना ;

(आठ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना तथा ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करना जो कि इस अधिनियम तथा परिनियमों द्वारा उसे प्रदत्त की जाय या उस पर अधिरोपित किए जायें.

* *

कार्य-परिषद्. 23. (1) कार्य-परिषद् विश्वविद्यालय की कार्यपालिक निकाय होगी और उसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात्-

(एक) कुलपति;

* *

वार्षिक रिपोर्ट. 47. विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट कार्य-परिषद् के निर्देश के अधीन तैयार की जायेगी और सभा को ऐसी तारीख को या उसके पूर्व भेजी जायेगी जो कि परिनियमों द्वारा विहित की जाय, और उस पर सभा द्वारा अपने वार्षिक सम्मिलन में विचार किया जायेगा. सभा उस पर संकल्प पारित कर सकेगा और उसे कार्य-परिषद् को संसूचित कर सकेगा.

* *

लेखाओं का संपरीक्षा. 48. (1) विश्वविद्यालय के लेखाओं की संपरीक्षा राज्य के स्थानीय निधि लेखा परीक्षक द्वारा प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार ऐसे अन्तरालों पर की जायेगी जो पन्द्रह मास से अधिक के न हों.

(2) लेखे, जबकि उनकी संपरीक्षा कर ली जाय, राजपत्र में प्रकाशित किये जायेंगे और संपरीक्षा-रिपोर्ट सहित लेखाओं की एक-एक प्रति कार्य-परिषद् द्वारा सभा को, मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग को तथा राज्य सरकार को भेजी जायेगी.

* *

कतिपय परिस्थितियों में विश्वविद्यालय के बेहतर प्रशासन के लिए उपबन्ध करने की दृष्टि से अधिनियम को उपान्तरित रूप में लागू करने की राज्य सरकार की शक्ति. 52. (1) यदि राज्य सरकार को किसी रिपोर्ट के प्राप्त होने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाय कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कि जिसमें विश्वविद्यालय का प्रशासन, विश्वविद्यालय के हितों का उपाय किये बिना, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता. और यह कि वैसा करना विश्वविद्यालय के हित में समीचीन है, तो वह अधिसूचना द्वारा, उसमें (अधिसूचना में) वर्णित किये जाने वाले कारणों से यह निर्देश दे सकेगी कि धारा 13 के, धारा 14 के, धारा 20 से 25 तक के, धारा 40, 47, 48, 54 तथा 67 के उपबन्ध अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई तारीख से (जो इसमें इसके पश्चात् इस धारा में नियत तारीख के नाम से निर्दिष्ट है) विश्वविद्यालय को तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये उपान्तरणों के अध्यधीन रहते हुए लागू होंगे.

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना (जो इसमें इसके पश्चात् अधिसूचना, के नाम से निर्दिष्ट है) नियत तारीख से एक वर्ष की कालावधि तक के लिये प्रवर्तन में रहेगी और राज्य सरकार, समय-समय पर उस कालावधि में ऐसी और वृद्धि जैसी कि वह उचित समझे ; इस प्रकार कर सकेगी कि जिससे अधिसूचना के प्रवर्तित रहने की कुल कालावधि तीन वर्ष से अधिक न हो जाय.

(3) कुलाधिपति, अधिसूचना के जारी किये जाने के साथ-साथ कुलपति को यथा उपान्तरित धारा 13 तथा 14 के अधीन नियुक्त करेगा और इस प्रकार नियुक्त किया गया कुलपति अधिसूचना के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान पद पर रहेगा.

परन्तु कुलपति, अधिसूचना के प्रवर्तन की कालावधि का अवसान होने पर भी उसके पश्चात् तब तक पद धारण किये रह सकेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण न कर ले, किन्तु यह कालावधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी.

(4) नियत तारीख से निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थात्

(एक) अधिसूचना के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान यह अधिनियम तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये उपान्तरणों के अध्यधीन रहते हुए प्रभावी होगा ;

(दो) कुलपति, जो नियत तारीख के अव्यवहित पूर्व पद पर धारण किये हुए हो, इस बात के होते हुए भी कि उसकी पदावधि का अवसान नहीं हुआ है, अपने पद को रिक्त कर देगा ;

(तीन) प्रत्येक व्यक्ति, जो नियत तारीख के अव्यवहित पूर्व यथास्थिति सभा, कार्य परिषद् या विद्या परिषद् के सदस्य के रूप में पद धारण किये हुए हो, उस पद पर नहीं रह जायगा ;

(चार) विश्वविद्यालय के विद्यार्थी प्रतिनिधि, जो धारा 54 की उपधारा (1) के खण्ड (एक) के अधीन विद्यार्थी परामर्शी समिति में नियत तारीख के अव्यवहित पूर्व हों, उक्त समिति के सदस्य नहीं रह जायेंगे.

(पांच) जब तक यथास्थिति सभा, कार्य-परिषद् या विद्या-परिषद् का यथा उपान्तरित उपबन्धों के अनुसार पुनर्गठन न हो जाय तब तक कुलपति, जो यथा उपान्तरित धारा 13 तथा 14 के अधीन नियुक्त किया गया हो, उन शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा उन कर्त्तव्यों का पालन करेगा जो कि सभा, कार्य परिषद् या विद्यापरिषद् को इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त की गई हों या उन पर अधिरोपित किये गये हों ;

परन्तु कुलाधिपति, यदि वह वैसा करना आवश्यक समझे इस प्रकार नियुक्त किये गये कुलपतियों को ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने में तथा ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करने में सहायता देने के लिये एक ऐसी समिति की नियुक्ति कर सकेगा जिसमें कि एक शिक्षाविद्, एक प्रशासनिक विशेषज्ञ तथा एक वित्त विशेषज्ञ होंगे.

(5) अधिसूचना के प्रवर्तन की कालावधि का अवसान होने के पूर्व या उसके अव्यवहित पश्चात् यथासाध्य शीघ्र, कुलपति, अधिनियम के यथानुपान्तरित उपबन्धों के अनुसार, सभा, कार्य परिषद् तथा विद्या परिषद् का गठन करने के लिये कार्यवाही करेगा और इस प्रकार गठित की गई सभा, कार्य परिषद् तथा विद्या परिषद्, अधिसूचना के प्रवर्तन की कालावधि का अवसान होने की तारीख के अव्यवहित पश्चात् आने वाली तारीख को या उस तारीख को, जिसको कि सम्बन्धित निकायों का इस प्रकार गठन हो जाय, इन दोनों में से जो भी पश्चात्वर्ती हो, कार्य करना प्रारम्भ कर देगी :

परन्तु यदि सभा, कार्य परिषद् तथा विद्या परिषद् अधिसूचना के प्रवर्तन की कालावधि का अवसान होने के पूर्व गठित न की जाय तो कुलपति, ऐसा अवसान हो जाने पर, इन प्राधिकारियों में से प्रत्येक प्राधिकारी शक्तियों का प्रयोग, कुलाधिपति के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुए, उस समय तक करे, जब तक कि यथास्थिति सभा, कार्य परिषद् या विद्या परिषद् का इस प्रकार गठन न हो जाय.

* *

तृतीय अनुसूची

[धारा (52) देखिये]

सभा का गठन. 2. धारा 20, 21, 22 तथा 23-धारा 20, 21, 22 तथा 23 के स्थान पर निम्नलिखित धारायें स्थापित की जायं :-

20. (1) सभा (कोर्ट) में निम्नलिखित होंगे :-

(एक) कुलाधिपति ;

(दो) कुलपति ;

(दो-क) कुलाधिसचिव ;

(तीन) विश्वविद्यालय के मुख्यालय पर के नगर पालिक निगम का महापौर या विश्वविद्यालय के मुख्यालय पर की नगर पालिका परिषद् का अध्यक्ष, जैसी भी कि दशा हो ;

(चार) सचिव, मध्यप्रदेश शासन शिक्षा विभाग ;

(पांच) उस संभाग का, जिसमें विश्वविद्यालय का मुख्यालय स्थित हो, आयुक्त ;

(छः) उस जिले का, जिसमें विश्वविद्यालय का मुख्यालय स्थित हो, कलेक्टर ;

(सात) सभापति, माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश ;

(आठ) विद्यार्थियों के अधिक से अधिक तीन प्रतिनिधियों को सम्मिलित करते हुए दस सदस्य जो कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित किये जायेंगे ;

(नौ) दो सदस्य जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किये जायेंगे ;

(दस) विधान सभा के तीन प्रतिनिधि जो विधान सभा द्वारा अपने सदस्यों में से निर्वाचित किये जायेंगे और जो ऐसे निर्वाचन के लम्बित रहने तक अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किये जायेंगे.

(2) उपधारा (1) के खण्ड (आठ) के अधीन विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों को छोड़कर सभा के अन्य समस्त सदस्यों की पदावधि का उस कालावधि तक विस्तार रहेगा जिस तक कि धारा 52 के अधीन जारी की गई अधिसूचना प्रवर्तित रहे और विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों की पदावधि उनके नाम निर्देशन की तारीख से एक वर्ष या अधिसूचना के प्रवर्तित रहने की कालावधि का अवसान होने तक, इन दोनों में से जो भी पूर्वत्तर हो, होगी.

स्पष्टीकरण - उपधारा (1) के खण्ड (आठ) के प्रयोजन के लिए अभिव्यक्त "विद्यार्थी" का वही अर्थ होगा जो कि उस अभिव्यक्ति की धारा 28 की उपधारा (2) में दिया गया है.

सभा का सम्मिलन. "21. (1) सभा का सम्मिलन वर्ष में एक बार, कुलपति द्वारा नियत की गई तारीख को होगा जो सभा का वार्षिक सम्मिलन कहलायेगा.

(2) कुलपति, जब कभी भी वह उचित समझें यथासम्भव शीघ्र, सभा का विशेष सम्मिलन बुला सकेगा और सभा के सदस्यों में से कम से कम एक तिहाई सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित लिखित अध्यपेक्षा पर यथासम्भव शीघ्र सभा का विशेष सम्मिलन बुलायेगा.

(3) सभा के दस सदस्यों से गणपूर्ति होगी."

सभा के कार्य. "22. सभा एक सलाहकार निकाय होगी और वह-

(क) राज्य सरकार को ऐसे विषयों के सम्बन्ध में सलाह देगी जो सलाह के लिए उसे (सभा को) निर्देशित किये जाय ;

(ख) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय को, ऐसे विषयों के संबंध में सलाह देगी जो ऐसे प्राधिकारी या निकाय द्वारा उसे (सभा को) निर्देशित किये जायं ;

(ग) कार्य-परिषद् की सिफारिश पर उपाधियाँ, उपाधिपत्र तथा विद्या सम्बन्धी अन्य विशिष्टताएं प्रदान करेगी ;

(घ) ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करेगी और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगी जो कि इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये परिनियमों तथा अध्यादेशों द्वारा या उनके अधीन या राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपी/सौंपे जायें."

* *

देवेन्द्र वर्मा
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.